कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 16423/PMAY-G/स्था./जिपं/2017-18 राजनांदगांव दिनांक 15/02/2018

सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक/445, दिनांक 03.02.2017 एवं उपायुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) रायपुर का पत्र क्रमांक/100/दिनांक 09.01.2017 के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत **आवास समन्वयक** के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवार की संविदा नियुक्ति जिला पंचायत, राजनांदगांव में निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है।

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	राजेश कुमार	श्री विष्णुराम	ग्राम खमतराई पो. पिनकापार तह. डोडीलौहारा जिला बालोद	अनारक्षित (मुक्त)	जिला पंचायत राजनांदगांव

प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया हैं।

नियम एवं शर्तें :-

1. संविदा पर प्रतिमाह रू. 36465.00 एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति 31.03.2018 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं, तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क./एफ-9-1/2012/1-3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
11. शारीरिक योग्यता संबंधी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)

(2)

पृ. कमांक 16424/PMAY-G/स्था./जिपं/2017–18 राजनांदगांव दिनांक 15/2/2018

प्रतिलिपि :–

1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2 संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।

4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व.................................... को सूचनार्थ।

5 उप संचालक, (पंचायत), राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6 स्टेनो–टू, सीईओ, जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।

7 मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेकाहारा जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने बाबत्।

8 सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। दिनांक 22/02/2018 तक आवश्यक प्रमाण पत्रो सहित जिला पंचायत राजनांदगांव में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)